न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ
पीठासीन अधिकारी सुश्री अंशुल आमेरिया (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या 33 / 2022

अनवान

1. अम्बा लाल पुत्र श्री हीरा लाल जाट निवासी कलुन्दिया तह हमीरगढ जिला भीलवाडा।
2. कैलाश चन्द्र पुत्र श्री हीरा लाल जाट निवासी कलुन्दिया तह हमीरगढ जिला भीलवाडा।
3. कालू लाल पुत्र श्री हीरा लाल जाट निवासी कलुन्दिया तह हमीरगढ जिला भीलवाडा।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. रतनलाल पुत्र श्री कन्हैया लाल महाजन निवासी कलुन्दिया तह हमीरगढ जिला भीलवाडा।
2. श्रीमती गीता पत्नी श्री नारायण भील निवासी कलुन्दिया तह हमीरगढ जिला भीलवाडा।
3. मगना पुत्र श्री कजोड रेगर निवासी पीपली तह हमीरगढ जिला भीलवाडा।
4. रामचन्द्र पुत्र श्री उंकार भील निवासी कलुन्दिया तह हमीरगढ जिला भीलवाडा।
5. श्रीमती हरकू पत्नी श्री डूंगा रेगर निवासी पीपली तह हमीरगढ जिला भीलवाडा।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज)

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956
निर्णय दिनांक 10.05.2022

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भूँ—राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 02.03.2022 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि **ग्राम कलुन्दिया पटवार हल्का पीपली भू.अ.नि. मंगरोप तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा में उसके खाते की खाता संख्या 282 की कृषि भूमि की आ0न0 1180 / 588 रकबा 0.8852है0, आ0न0 1208 / 588 रकबा 1.2645 है0 कुल किता 02 कुल रकबा 2.1497 है0** वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसी है प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 02.03.2022 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित । विपक्षी संख्या 01 से 05 बावजूद विधिवत प्रक्रियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नही है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी / प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया।

प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वंय के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार / स्वत्व निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

—::आदेश::—

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हमीरगढ को आदेश दिये जाते है कि **ग्राम कलुन्दिया पटवार हल्का पीपली भू.अ.नि. मंगरोप तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा में उसके खाते की खाता संख्या 282 की कृषि भूमि की आ0न0 1180 / 588 रकबा 0.8852है0, आ0न0 1208 / 588 रकबा 1.2645 है0 कुल किता 02 कुल रकबा 2.1497 है0** जिसकी पत्थरगढी राजस्थान लैण्ड रेकार्ड नियम 1956 के प्र[illegible] निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जावे तथा नियमानुसार निर्धारित [illegible] कोष में जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500 / — रू0 की नियमानुसार [illegible] प्रार्थी पक्षकार निर्धारित 10.05.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर रहे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2022.10.11 17:00:53 IST
Reason: SelfAttested

(अशुल आमेरिया)
उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ़, जिला भीलवाड़ा